3/16

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
10-7-19	वकील उभय पक्ष उप० / बाद वहक तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट पत्र वहक हेतु दिनांक 17/7/19 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	
17/7/19	वकील ... वाद्य उपस्थित P.O. साहब आदेश अवकाश पर है। पत्रावली आइन्दा गत आदेश की पालना के दिनांक 7-8-19 को पेश हो।	
7/8/19	उभय [illegible] उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में ....हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 5/9/19 को पेश हो। (रीडर)	
5/9/19	वकील उभय पक्ष उप० बाद वहक तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट हेतु दिनांक 11-9-19 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	
11.9.19	वकील उभय पक्ष उप० / उभय पक्ष की बहस सुनी गई / बाद अवलोकनार्थ पत्रावली दिनांक 18.9.19 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	
18.9.19	पत्रावली पेश हुई। मुस्तगिस का दावा राज० अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 A स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश अलग से लिखाया जाकर सुनाया। पत्रावली बाद तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- श्री नरेन्द्र कुमार मीना , आर ए एस
प्रार्थना पत्र संख्या :- 05/2016

उनवान

1 रामचन्द्र
2 जगदीश
3. धन्नालाल
} पि0 प्रभत जाति गुर्जर निवासी प्रतापपुरा मनोहरपुर तह0शाहपुरा

4. बालू
5 रामू
} पि0 सूजा उर्फ सुरजा जाति गुर्जर निवासी प्रतापपुरा मनोहरपुर तह0शाहपुरा

बनाम

1 मंगलाराम पुत्र सुरजा
2 रामनारायण पुत्र मंगलाराम
3 बंन्शीधर पुत्र मंगलाराम
4 मालराम पुत्र सुरजा
5 कालूराम पुत्र सुरजा
6 नन्दू देवी पत्नि ज्ञानाराम
7 मुरलीधर पुत्र ज्ञानाराम
8 रामावतार पुत्र ज्ञानाराम
9 रामकुंवार पुत्र ज्ञानाराम
10शरद पुत्र ज्ञानाराम
11पटवारी पटवार मण्डल मनोहरपुर तह0 शाहपुरा
12 नायब तहसीलदार उपतहसील मनोहरपुर जिला जयपुर
13 उप पंजीयक अधिकारी उप तहसील मनोहरपुर जिला जयपुर
14 राज0सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010

आदेश दिनांक 18.9.2019

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) के तहत पेश किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि आ0,ख0नं0 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833 कुल किता 8 रकबा 2.08 है0 वाके ग्राम प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा स्थिति है जिसमे प्रार्थीगण सं0 1 लगाा0 3 सहखातेदार काश्तकार है तथा ख0नं0 1824 रकबा 1.41 है0 वाके ग्राम प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा स्थित है जिसके प्रार्थीगण सं0 4 व 5 खातेदार काश्तकार है । प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 1826 लगायत 1833 से लगती हुई उत्तर की तरफ हाल आराजी ख0नं0 1936, 1937, 1938 व 1936 से 1938 स लगती हुई पूर्वी तरफ हाल ख0नं0 1939, 1940 स्थित है जो पूर्वी तरफ हाल ख0न0 1945 रकबा 1.39 है0 गैर मुमकिन रास्ता मार्ग एवं पगडंडिया से लगती हुई है, हाल ख0नं0 1945 में एन एच 8 से ग्राम खोजावाला जाने वाला रास्ता है।

हाल ख0नं0 1936, 1937, 1938, 1939, 1940 कुल किता 5 रकबा 2.55 है0 वाके ग्राम प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिसकी 1/4 भाग की खातेदारी अप्रार्थी सं0 4 व 1/4 भाग की खातेदारी अप्रार्थी सं0 4 व 1/4 भाग की खातेदारी अप्रार्थी सं0 5 के व 1/4 भाग की खातेदारी अप्रार्थी सं0 6 लगा0 10 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है उसके पश्चात अप्रार्थी सं0 1 ने नामान्तरण सं0 339 दिनांक 21.12.2015 के द्वारा ख0नं0 1936, 1937, 1939 में से अपने नाम अंकित 1/4 भाग में से 1/12 भाग क खातेदारी अप्रार्थी सं0 2व 1/6 भाग की खातेदारी अप्रार्थी सं0 3 के नाम जरिये उपहार पत्र के द्वारा करवा दी गई है। अप्रार्थी सं0 1 लगा 3 अपनी खातेदारी भूमि में से हाल ख0नं0 1826 लगायत 1833 में सदैव से नेशनल हाईवे सं0 8 से ग्राम खोजावाला जाने वाले रास्ते ख0नं0 1945 से पश्चिम की तरफ स्थित हाल ख0नं0 1940, 1939 क दक्षिणी सींव के सहारे हाल ख0नं0 1936 की दक्षिणी पूर्वी सीमा के सहारे ख0नं0 1830 में व 1830 से अपनी अन्य खातेदारी भूमि में सदैव से आते जाते रहे है।

ख0नं0 1830 में प्रार्थी सं0 2 जगदीश ने अपना पुख्ता मकान बना रखा है व ख0नं0 1829 में प्रार्थी सं01 रामचन्द्र ने अपना एक पुख्ता मकान बना रखा है व ख0नं0 1826 में प्रार्थी सं0 3 धन्नालाल ने अपना

मकान बना रखा है। प्रार्थीगण की आपसी सहमति व रजामन्दी से प्रार्थीगण सं0 4 , 5 ने हा 1833 में अपना पुख्ता मकान बना रखा है व अपने अपन मकानो में निवास कर अपनी अप री भूमि को काबिज रहकर काश्त व उपयोग करते आ रहे है। ख0नं0 1828 गै0मु0चाह है जिस मा 1 लगा0 3 अपने हिस्से अनुसार उपयोग करते आ रहे है।

प्रार्थीगण का अपनी खातेदारी भूमि मे आने जाने के लिये उक्त रास्ते के अलावा अन्य को क रास्ता नहीं है प्रार्थीगण एन एच 8 से ग्राम खोजावाला जाने वाले रास्ते ख0नं0 1945 से पश्चि स्थित ख0नं0 1940, 1939 की दक्षिण सीमा के सहारे 12 फुट चौडा रास्ता ख0नं0 1936 दक्षिणी पू तक से ख0नं0 1830 की उत्तरी पूर्वी सीमा तक रास्ता चाहने हेतु आवेदन किया है। प्रार्थीगण दारी में पहुँचने के लिये लघुतम तथा निकटतम यही रास्ता है इसके अलावा अन्य कोई विक गण के पास उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी के द्वारा निवेदन किया गया कि एन एच 8 से ग्राम खोजावा 1945 के पश्चिम की तरफ ख0नं0 1940, 1939 ग्राम प्रतापपुरा की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे फुट चौडा रास्ता ख0नं0 1936 की दक्षिणी पूर्वी सीमा तक ख0नं0 1830 में जाने आने हेतु रास्त या जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावें ।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधिवत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी क वाई का अवसर दिया गया तथा तहसीलदार शाहपुरा से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई । तहसीलदा पुरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थीगण के द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर विधिव वाई की जाकर आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार शाहपुरा को दोनो पक्षो की की मौजूदगी का रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने के आदेश पारीत किये जाने पर तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा पुनः मौक पोर्ट दिनांक 27.3.2018 पेश की गई। उक्त मौका रिपोर्ट पर दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बह नी गई । दोनो पक्षो की बहस पर तथा तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा प्रस्तावित रिपोर्ट तथा पत्रावली जूद दस्तावेजात के आधार पर हम प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र से सहमत है तथा तहसीलदार शाहपु द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 27.3.2018 में विकल्प 1 के द्वारा प्रस्तावित भूमि को रास्ते में दर्ज करना उचि मझते है।

अतः अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 व की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010 न्यायिक दृष्टि से स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्ब 1939 रकबा 0.52 है0 1940 रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा में से ख0न0 1648 के उत्तरी मैड से ख0न0 1650 के उत्तरी पूर्वी कोने से ख0न0 1940 मे से दक्षिणी पश्चिमी कोने से ख0नं 1939 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे ख0नं0 1650 की उत्तरी सीमा से ख0नं0 1830 के उत्तरी पूर्वी कोने की सीमा तक 12 फुट चौड़ाई से ख0नं0 1940 व 1939 में रास्ते हेतु आई भूमि का तहसीलदा शाहपुरा आकलन कर रास्ते हेतु जो भूमि आती है उसकी वर्तमान मे प्रचलित डी एल सी दर से आकलन कर डीएलसी दर की दो गुना राशि प्रार्थीगण से वसूल कर नियमानुसार खातेदार /अप्रार्थीगण को भुगतान किया जावे एवं राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में रास्ते का अमल दरामद किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 18.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप खण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
शाहपुरा जिला जयपुर